झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 16.03.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	झारखण्ड सरकार, मानव संसाधन विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ज्ञापांक- सं0- 2410 दिनांक- 21.10.2008 के द्वारा सिमडेगा जिला के 8 (आठ) गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा को उत्क्रमित किया गया है परन्तु उन विद्यालयों में उत्क्रमित कक्षाओं के लिए शिक्षकों की पद की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है, जबकि सरकारी विद्यालयों में उत्क्रमित करते समय ही पदों की भी वित्त सहित स्वीकृति दी जाती है। सिमडेगा जिला के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा को उत्क्रमित किये हुए 7 वर्ष हो गया है और उन्हें वित्त सहित पदों की स्वीकृति नहीं दिया जाना अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया एवं उपेक्षा का घोतक कहा जा सकता है और इनके प्रति असहिष्णुता की भावना उत्पन्न हो रही है। अतः मैं सिमडेगा जिला के उन 8 (आठ) उत्क्रमित विद्यालयों का शीघ्र पदों का वित्त सहित स्वीकृति प्रदान करने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
02-	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा एवं श्री रामकुमार पाहन स0वि0स0	वानिकी (स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साथ-साथ भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दी जाती है। यह भी अन्य व्यवसायिक विषयों जैसे- चिकित्सा (MBBS), अभियान्त्रीक (Engineering), पशु चिकित्सा (BVSc. & AH), एवं कृषि (B.Sc. Agriculture), की तरह व्यवसायिक एवं विशिष्ट शिक्षा है। अन्य व्यवसायिक विषय के छात्रों की तरह ही वानिकी के छात्र भी झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित होकर नामांकन लेते है एवं 4 वर्षीय वानिकी पाठ्यक्रम में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते है। उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित विभागों में अधिकारियों के पदों पर नियोजन हेतु न्युनतम शैक्षणिक अर्हत्ता उपर वर्णित व्यवसायिक एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम है परन्तु दुर्भाग्यवश झारखण्ड राज्य में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पदों पर नियोजन हेतु न्युनतम आवश्यक अर्हत्ता वानिकी स्नातक नहीं रखी गई है जबकि अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक, उड़िसा, केरल, हिमाचल प्रदेश, पणिपुर एवं जम्मू कश्मीर के वन विभाग में इन पदो के लिए न्यूनतम आवश्यक अर्हत्ता वानिकी स्नातक है। ज्ञात हो कि पत्रांक- संख्या- 3/ विवि0-17/2006/231, दिनांक- 05.02.2007 के आलोक में सरकार द्वारा कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसमें वन सचिव एवं कृषि सचिव सम्मिलित थे। पत्रांक संख्या- 1328, दिनांक-25.05.2007 में सहायक वन संरक्षक एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 50% पदो के लिए शैक्षणिक अर्हत्ता वानिकी स्नातक रखने का अनुशंसा किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न) वर्ष 2007 से राज्य के मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास किए गए (सम्बन्धित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न)।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

कृ0पृ0उ0

		इस सन्दर्भ में अब सिर्फ वन सचिव, झारखण्ड सरकार, द्वारा अनुशंसाओं को झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए पहल की आवश्यकता है ताकि सहायक वन संरक्षक/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के नियोजन के लिए नीति निर्धारण की जा सके। अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि उक्त आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	सर्वश्री शिवशंकर उराँव, ताला मराण्डी एवं श्री योगेश्वर महतो स0वि0स0	राज्य के 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर जनप्रतिनिधि इस सदन का प्रतिनिधित्व कर रहे है। इन जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की जनता के बीच उनके कार्यो/समस्याओं/जरूरतों को सुनने-समझने व समाधान के लिए भ्रमण करना पड़ता है। प्रत्येक प्रखंड क्षेत्र में प्रवास/भ्रमण के क्रम में जनप्रतिनिधि (विधायक/सांसद) को प्रखंड/अंचल कार्यालय परिसर भी जाना पड़ता है। इस दरम्यान प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा अंचलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठना पड़ता है और जनप्रतिनिधि अधिकारी के कक्ष में जब तक बैठता है तबतक आम जनता के लिए पदाधिकारी द्वारा किए जाने वाले दैनिक प्रशासकीय कार्य बाधित होते है। जनप्रतिनिधि के प्रोटोकॉल के कारण सम्बधित अधिकारी/कर्मचारी कुछ कह भी नहीं सकते। सदन के समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से आसन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ। कि राज्य की जनता के हित में तेलगंना राज्य की तर्ज पर झारखण्ड में भी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक प्रखंड परिसर में एक जनप्रतिनिधि जनता सम्पर्क कक्ष/भवन का निर्माण कराया जाए। ताकि जनप्रतिनिधि का राज्य की आम जनता से दूरी भी कम हो, बेहतर जनसंम्पर्क भी बना रहे। जनसमस्याओं का निवारण भी हो और प्रशासकीय कार्य भी बाधित न हों। निस्संदेह, राज्य का यह कदम जनहित में दूरगामी, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिणामदायक सिद्ध होगा। इस ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	भवन निर्माण

राँची,
दिनांक- 16 मार्च, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2235/वि0 स0, राँची, दिनांक- 15/03/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
15/03/16
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2235/वि0 स0, राँची, दिनांक- 15/03/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
15/03/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

15/03